

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : ई-33/पेरा.मै./जोन-अजमेर/भरतपुर/एफ. 11/2024/414. दिनांक 14.2.2024.
आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 पार्ट-1 दिनांक 16.01.2020 तहत निम्नलिखित कार्मिक (प्रोबेशनरी ट्रेनी) को उनकी प्रार्थना पर स्वयं की अस्वस्थता के कारण रोग/आरोग्य प्रमाण-पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अवधि का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम मय पद (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन स्थान	असाधारण अवकाश अवधि
1.	अंकिता शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट	राजकीय सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद जिला अजमेर	दिनांक से 19.09.2023 तक 28.09.2023 (10 दिवस)
2.	मात्रदत्त शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट	जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर	दिनांक से 10.02.2023 तक 28.02.2023 (19 दिवस)
3.	रीना शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय करौली	दिनांक से 17.03.2023 तक 31.03.2023 (15 दिवस)

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पेरा.मै./जोन-अजमेर/भरतपुर/एफ. 11/2024/414. दिनांक 14.2.2024.
प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-अजमेर/भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी- अजमेर/करौली।
3. राजकीय सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद जिला अजमेर।
4. जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय करौली।
6. कर्मचारी को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय की वेबसाईट पर अपलोड वास्ते।
8. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5569812

Document certified by SURESH
NAWAL <aa4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :13-02-2024 04:46:12